Shikshan Sanshodhan : Journal of Arts, Humanities and Social Sciences ISSN(o): 2581-6241
Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal Impact Factor: 6.831
Volume - 7, Issue - 01 January - 2024

DOIs:10.2018/SS/202401007 --:-- Research Paper / Article / Review

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और ड्रॉपआउट बालिका शिक्षा की आवश्यकता

चन्द्रिका वी. भावसार
शोधार्थी (शिक्षा) गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाडा, राजस्थान
Email :- bhchbhch71625@gmail.commail.com

सारांश:- प्रस्तुत शोध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत ड्रापआउट बच्चों के लिय जो प्रावधान है उन्हें दर्शाने का प्रयास किया गया है | विशेष रूप से भारत में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय अपनाया गया है| जिसे राज्य सरकार अपने राज्यों में संचालित कर रही है और उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिय प्रयासरत है |

मुख्य शब्दावली :- नई शिक्षा नीति 2020, ड्रापआउट, बालिका शिक्षा, कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय, प्रावधान

शिक्षा है अनमोल |
इसके दरवाजे सब के लिए खोल |
चाहे वो बालक या बालिका, इनका एक समान मोल |
यही कहती है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति दिल खोल |

सुश्री चन्द्रिका भावसार

भारत में **नई शिक्षा नीति** 21वीं सदी के 20 वे साल में आई है। 34 साल बाद 2020 में पुनः नई शिक्षा नीति को लेकर महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। एक महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय को **"शिक्षा मंत्रालय"** के नाम से जाना जायेगा। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा से सम्बंधित बहुत से मुद्दों को रखा गया है| और बालिका शिक्षा के लिए जो प्रावधान रखें हैं, वह पिछली नीतियों से भिन्न है जैसे :-

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 में 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य का प्रावधान रखा गया था |
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में इसका उद्देश्य असमानताओं को दूर करने, विशेष रूप से भारतीय महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जाति समुदायों के लिये शैक्षिक अवसर की बराबरी करने पर विशेष ज़ोर देना था।
- इस नीति ने प्राथमिक स्कूलों को बेहतर बनाने के लिये "ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड" लॉन्च किया।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति संसोधन 1992, में 1986 की नीति में संसोधन किया गया और प्रवेश परीक्षाओं की बहुलता के कारण छात्रों और उनके अभिभावकों पर शारीरिक, मानसिक और वित्तीय बोझ को कम करने की समस्याओं को हल किया गया|
- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 में शिक्षा की** पहुँच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की जीडीपी के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। इस नीति में बालिका शिक्षा से सम्बंधित अलग से कोई प्रावधान नहीं बना है लेकीन इसमें भाग 1 स्कूल शिक्षा के **मुद्दे 3 में ड्राप आउट बच्चों की संख्या कम करना और सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिकता पहुँच सुनिश्चित करना इसके अंतर्गत**

3.1 बच्चों के नामांकन को 100 % करने की बात रखी गई है | और साथ में बच्चों के विद्यालय में ठहराव सम्बन्धी गंभीर मुद्दे को रखा गया है | कक्षा 6 से 8 वीं का जीईआर 90.9 % है, जबकि कक्षा 9 – 10 और 11 – 12 के लिए यह क्रमशः केवल 79.35% और 56.5% है | यह आंकड़े दर्शातें हैं कि किस प्रकार से कक्षा 5 और विशेष रूप से कक्षा 8 के बाद नामांकित छात्रों का एक महत्वपूर्ण अनुपात शिक्षा प्रणाली से बहार हो जाता है | वर्ष 2017 – 18 में NNSO के 75 वें राउंड हाऊसहोल्ड सर्वे के अनुसार, 6 से 17 वर्ष के बीच की उम्र के विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या 3.22 करोड़ है | इन बच्चों को यथासंभव पुनः शिक्षा प्रणाली में शीघ्र वापस लाना देश की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी |
3.2 सरकारी विद्यालयों की विश्वसनीयता फिर से स्थापित की जायेगी और ऐसा मौजूद विद्यालयों का उन्नयन और विस्तार करके, जहाँ विद्यालय नहीं हैं वहाँ अतिरिक्त गुणवत्ता वाले विद्यालय और छात्रावास विशेषकर बालिका छात्रावासों तक सुरक्षित और व्यवहारिक पहुँच प्रदान करके किया जा सकता है, ताकि सभी बच्चों को अच्छे विद्यालय में जाने के साथ समुचित स्तर तक पढ़ने का अवसर मिले | प्रवासी मजदूरों के बच्चों और विविध परिस्थितियों में विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों को मुख्यधारा शिक्षा में वापस लेने के लिए सिविल समाज के सहयोग से वैकल्पिक और नवीन शिक्षा केंद्र स्थापित किए जायेंगे |
3.3 फाउंडेशनल स्टेज से लेकर कक्षा 12 तक की विद्यालय शिक्षा के जरिये 18 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों को समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी |
3.4 कक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए काम करना होगा और छात्रों को कक्षा से जोड़े रखना एक महत्वपूर्ण काम होगा, ताकि छात्र (विशेष रूप से बालिकाएँ और सामाजिक – आर्थिक रूप से वंचित समूहों के विद्यार्थी) और उनके माता – पिता विद्यालय में भागीदारी के प्रति अपनी रूचि न खोएं | उन क्षेत्रों को जोड़ना जहाँ ड्राप आउट दरें विशेष रूप से अधिक है| 3.5 NNSO की तर्ज पर सरकारों को प्रोत्साहित किया जायेगा कि वे अपने राज्यों में पूर्व से स्थापित स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ़ ओपन स्कूलिंग (SIOS) को सशक्त करके और नए संस्थानों की स्थपना करें |
3.6 शिक्षा के वैकल्पिक मॉडल बनाने की अनुमति देने के लिए विद्यालय के निर्माण सम्बन्धी नियमों को हल्का बनाया जायेगा | इसका फोकस इनपुट पर कम और वांछित सीखने के परिणामों से सम्बंधित आउटपुट क्षमता पर अधिक केन्द्रित होगा |
3.7 बच्चों के अधिगम में सुधार के लिय भूतपूर्व विद्यार्थियों और समुदायों से स्वयंसेवी प्रयासों को प्रोत्साहित किया जायेगा |

मुद्दे 6 में :- समतामूलक और समावेशी शिक्षा : सभी के लिए अधिगम

बालिका शिक्षा से सम्बंधित निम्न मुद्दों के अंतर्गत -
6.2 माध्यमिक स्तर पर, हम सामाजिक - आर्थिक रुप से वंचित ऐसे समूहों को देख सकते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में भूतकाल से ही पीछे रहे हैं | सामाजिक - आर्थिक रुप से वंचित (एसईडीजी) इन समूहों को लिंग (विशेष रुप से महिला व ट्रांस जेंडर व्यक्ति) सामाजिक - सांस्कृतिक पहचान जैसे (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, ओबीसी और भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक) भौगोलिक पहचान और सामाजिक - आर्थिक स्थिति जिनकी पिछड़ी है उनके बच्चों की संख्या विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर 12 तक लगातार नामांकन घट रहा है, नामांकन में गिरावट सामाजिक - आर्थिक रुप से वंचित समूहों (एसईडीजी) में अधिक है| और विशेषकर एसईडीजी की महिला विद्यार्थियों के संदर्भ में यह और अधिक स्पष्ट है | उच्चतर शिक्षा में भी नामांकन में गिरावट नजर आती है |
6.9 ऐसे स्थान जहाँ विद्यालय तक आने के लिए छात्रों को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है| वहाँ जवाहर नवोदय विद्यालय के स्तर की तर्ज पर नि:शुल्क छात्रावास का निर्माण किया जाएगा| विशेष ऐसे बच्चों के लिए जो सामाजिक - आर्थिक रुप से वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं | इन छात्रावास में सभी बच्चों विशेषकर लड़कियों की सुरक्षा की उपुक्त व्यवस्था की जायेगी | कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को और मजबूत बनाया जायेगा तथा सामाजिक - आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों की बालिकाओं की गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा वाले विद्यालयों (ग्रेड 12 तक) में प्रतिभागिता बढ़ाने की दृष्टि से हैं इन्हें और अधिक विस्तारित किया जायेगा | भारत के हर कोने में उच्चतर गुणवत्ता की शिक्षा के अवसर प्रदान करने की दृष्टि से विशेषकर आकंक्षात्मक जिलों, विशेष शिक्षा और वंचित क्षेत्रों में अतिरिक्त जवाहर नवोदय विद्यालय व केन्द्रीय विद्यालय खोले जायेंगे | कम से कम 1 वर्ष की प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा को समाहित करते हुए केन्द्रीय विद्यालय में व देश के अन्य प्राथमिक विद्यालयों में विशेषकर वंचित क्षेत्रों में प्री- स्कूल वर्ग को जोड़ा जायेगा |

मुद्दें 12 में :- सीखने के लिए अनुकूलतम वातावरण व छात्रों को सहयोग

12.10 छात्रों को विभिन्न उपायों के माध्यम से वित्त सहायता कराई जायेगी | अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अन्य छात्रों की योग्यता को प्रोत्सहित किया जायेगा | इन छात्रों की प्रगति को बढ़ाने, प्रोत्साहित करने और ट्रेक करने के लिए राष्ट्रीय छात्रवृति पोर्टल का विस्तार किया जायेगा | उच्चतर शिक्षा के लिए भी प्रोत्साहित किया जायेगा|

इन सभी मुद्दों से स्पष्ट हैं की बालिकाओं की शिक्षा के लिए प्रयास आवश्यक है |

बीमारु राज्यों में उच्च-प्राथमिक विद्यालय-आयु के छात्रों का ड्रॉप आउट एक बड़ी समस्या

वर्ष 2016 के एएसईआर द्वारा 11-14 साल की आयु वर्ग में, अन्य राज्यों की तुलना में बीमारू राज्यों में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में 6.3%, मध्य प्रदेश में 5.8%, राजस्थान में 5%, छत्तीसगढ़ में 4% और झारखंड में 3.7% है। इन सारे राज्यों के स्कूल में 11-14 साल की आयु वर्ग में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या 3.5% के राष्ट्रीय औसत से ऊपर है।

भारत में लिंग समानता सूचकांक :-

प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक शिक्षा में लिंग समानता सूचकांक प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तर पर नामांकित छात्राओं की संख्या और प्रत्येक स्तर पर छात्रों की संख्या का अनुपात है। संक्षेप में, विभिन्न स्तरों पर जीपीआई स्कूल प्रणाली में लड़कियों की समान भागीदारी को दर्शाता है। जीपीआई को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) द्वारा अपनी वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट के एक भाग के रूप में जारी किया गया है।

विद्यालय में 1 GPI (जेंडर पैरिटी इंडेक्स) लिंगों के बीच समानता दर्शाता है, GPI 1 या अधिक का मान दर्शाता है कि GPI लड़कियों के लिए अनुकूल है जबकि 1 से कम का GPI सापेक्ष दर्शाता है कि विद्यालय शिक्षा के उस विशिष्ट स्तर में लड़कियों का प्रतिनिधित्व कम है | विद्यालय शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर वर्ष 2018-19 से 2021-22 के लिए भारत का GPI निम्नानुसार है:

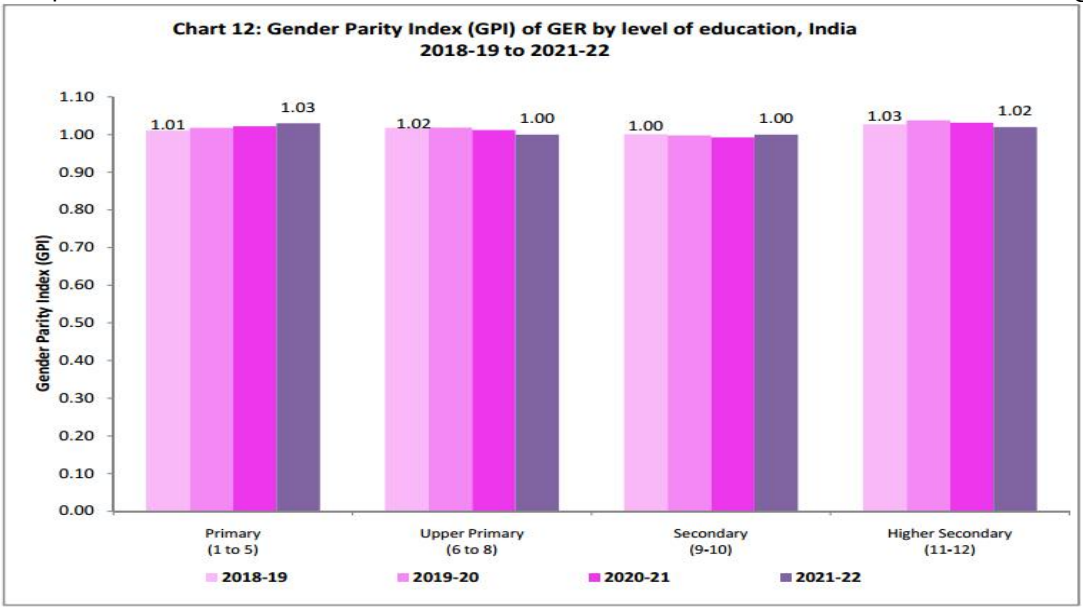

स्रोत U-DISE(22-2021)+

प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च माध्यमिक शिक्षा सभी में 1 से अधिक GPI वर्ष 2018-19 से वर्ष 2021-22 में है |

विद्यालय शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर वर्ष 2018-19 से 2021-2 के लिए भारत के राज्य राजस्थान का 2GPI निम्नानुसार है:

	Gender Parity Index (GPI) of GER			
विद्यालय शिक्षा स्तर / वर्ष	प्राथमिक (1-5)	उच्च प्राथमिक (6-8)	माध्यमिक (9-10)	उच्च माध्यमिक (11-12)
2018-19	1.00	0.93	0.89	0.83
2019-20	1.01	0.94	0.89	0.87
2020-21	1.02	0.95	0.89	0.89
2021-22	1.03	0.96	0.92	0.90

स्रोत U-D IS E + (वर्ष 2018-19 से वर्ष 2021-22)

प्राथमिक शिक्षा में 1 से अधिक GPI वर्ष 2018-19 से वर्ष 2021-22 में है | उच्च प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा सभी में 1 से कम GPI वर्ष 2018-19 से वर्ष 2021-22 में है | GPI यह दर्शाता है कि राजस्थान विद्यालय शिक्षा में इन विशिष्ट स्तर में लड़कियों का प्रतिनिधित्व कम है |

2018-19 में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 'समग्र शिक्षा' योजना शुरू की। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह स्कूल शिक्षा क्षेत्र के लिए पूर्व-विद्यालय से बारहवीं कक्षा तक विस्तृत कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। इसका एक उद्देश्य स्कूली शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतर को कम करना है। वंचित समूहों की लड़कियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए, समग्र शिक्षा के तहत शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों (ईबीबी) में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) स्वीकृत किए गए हैं। केजीबीवी एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जैसे वंचित समूहों से संबंधित लड़कियों के लिए छठी से बारहवीं कक्षा तक के आवासीय विद्यालय हैं। जो वर्तमान में भारत के हर उस राज्यों में चल रही है जहाँ बालिका तक शिक्षा पहुँच सके और बालिकाओं की ड्राप आउट समस्या को समाप्त किया जा सके | **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020** एक **लैंगिक समावेशन निधि** (Gender Inclusion Fund) का प्रावधान करती है। इस निधि का उपयोग इन स्कूलों के साथ-साथ सभी **कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों** में **STEM शिक्षा** का समर्थन करने के लिये किया जाना चाहिये ।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :

1) मानव संसाधन विकास मंत्रालय. (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020. भारत सरकार
2) एडिटोरियल. (2020, JULY 31). *राष्ट्रीय शिक्षा नीति: महत्त्व व चुनौतियाँ.* Retrieved from दृष्टि द विज़न: https://www.drishtiias.com/hindi/daily-news-editorials/an-education-policy-that-is-sweeping-in-its-vision
3) Department of School Education and Literacy.(2023). UNIFIED DISTRICT INFORMATION SYSTEM FOR EDUCATION PLUS (UDISE+), 2021-2022. FLASH STATISTICS. Government of India. Ministry of Education.
4) Government of Rajashthan School education Department.(2023). Retrieved from Rajasthan Council of School Education: https://rajsahaladarpan.nic.in/SD2/Home/Public2/girlshostel/home.aspx

- https://www.ctet.nic.in
- https://www.mhrd.gov.in
- https://www.pmindia.gov.in
- https://www.shodhganga.com
- https://www.wikipidiya